न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारी दिवांशु शर्मा आर. ए. एस.

प्रकरण सख्या 11/2019
दायर दिनांक 20.12..2019
निर्णय दिनांक 30.03.2020

अनवान

1 किशनलाल पिता नानालाल जाति ब्रहमण , निवासी खडबानियॉ तहसील रेलमगरा

अपीलान्ट

बनाम

1. सरपंच, ग्राम पंचायत खडबामनियॉ तहसील रेलमगरा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रेलमगरा जिला राजसमन्द

रेस्पोडेन्टगण

अपील विरूद्ध नामान्तरणकरण संख्या 933 निर्णय दिनांक 09.07.2007

निर्णय

अपीलांट की और से जरिये अधिवक्ता अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 933दिनांक 09.07.2007 के प्रस्तुत की गई कि अपीलांट के पिता स्वर्गीय नानालाल पिता नारू ब्राहमण के नाम मौजा खडबामनियॉ में (अ) खाता सख्या 270 आराजी नम्बर 1210, 1211 कुल किता 02 रकबा 04 बीघा 06 विस्वा अपीलान्ट के पिता स्वर्गीय नानालाल पिता नारूलाल ब्राहमण के नाम पर 1/4 हक से राजस्व रेकार्ड में अंकित थी। (ब) खाता सख्या 269 आराजी नम्बर 468 ,722, 726, 730, 735, 737, 738, 740, 743, 753, 754 कुल किता 11 रकबा 21 बीघा 16 विस्वा अपीलान्ट के पिता स्वर्गीय श्री नानालाल पिता नारूलाल ब्राहमण के नाम पर राजस्व रेकार्ड में अकिंत थी। (स) खाता सख्या 279 आराजी सख्या 465 कुल किता 01 कुल रकबा 04 विस्वा। (द) खाता सख्या 274 आराजी सख्या 471 ,472 कुल किता 02 कुल रकबा 01 बीघा 19 विस्वा अपीलान्ट के पिता नाना पिता नारू का 1/4 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में अकिंत था। नकल जमाबन्दीयों की प्रमाणित प्रतिलिपिये साथ सलग्न है अपीलान्ट के पिता स्वर्गीय नानालाल की मृत्यु दिनांक 26.09.2005 को हो चुकी थी तथा अपीलान्ट के पिता के जायन्दा पुत्र अपीलान्ट ही था क्योकि अपीलान्ट की माता अपीलान्ट के पिता नानालाल की मृत्यु से पुर्व ही स्वर्गवास हो चुकी थी जिसे करीबन

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

40 वर्ष हो चुके है तथा अपीलान्ट के पिता स्वर्गीय श्री नानालाल जी के वारिसान के रूप में एक मात्र पुत्र संतान अपीलान्ट ही था। अपीलान्ट के पिता के मृत्यु पश्चात रेस्पोडेन्ट सख्या 02 के अधिनस्थ कर्मचारी पटवारी हल्का खडबामनियॉ के विरासती नामान्तरणकरण सख्या 933 नानालाल की मृत्यु पश्चात् जो नामान्तरणकरण भरा उसमें अपीलान्ट के साथ अपीलान्ट की पत्नि को अपीलान्ट की माता बताकर उसे स्वर्गीय नानालाल की पत्नि बताते हुए नामान्तरणकरण अपीलान्ट व अपीलान्टकी पत्नि रतनी के नाम पर अधीनस्थ न्यायालय रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से स्वीकृत भी करवा दिया गया एवं उसका जमाबन्दी में अमल दरामद भी करवा दिया गया इस बात की कोई जानकारी रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के अधिनस्थ कर्मचारी पटवारी हल्काखडबानियॉ ने अपीलान्ट को नहीं होने दी गई न ही स्वर्गीय नानालाल के विधिक वारिसान की समुचित जांच ही नहीं की क्योंकि यदि नानालाल की मृत्यु पश्चात विधिक वारिसान की समुचित जांच करते तो इतनी बडी गलती कभी भी नहीं हो सकती थी। अपीलान्ट की मॉ अर्थात नानालाल की पत्नि की मृत्यु आज से करीबन 40 वर्ष पुर्व ही हो चुकी थी। नानालाल अपीलान्ट के पिता की मृत्यु अपीलान्ट की मा की मृत्यु के पश्चात हुई थी तथा अपीलान्ट की मॉ बा नाम अजोदिया बाई था तथा रतनी नामकी कोई औरत नानालाल की पत्नि नहीं थी न कभी रही है जो नामान्तरणकरण में रतनी नाम लिखा गया है वह वास्तव मे अपीलान्ट की पत्नि का नाम है पटवारी हल्का खडबानियॉ द्वारा मन– मकसुद तरीके से नामान्तरण करण भरकर अधिनस्थ न्यायालय, रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के द्वारा निर्णित भी कर दिया गया । न तो लेण्ड रेवेन्यु इस्पेक्टर से ही जांच की न पटवारी हल्का द्वारा सही जांच की गई तथा अधिनस्थ न्यायालय , रेस्पोडेन्ट सख्या 01 के द्वारा जो पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरणकरण पेश किया गया था उसे निर्णित भी कर दिया गया अधिनस्थ न्यायालय ने भी बिना अपीलान्ट को सुने बिना नानालाल के वारिसान की समुचित जांच किये बाले–बाले पटवारी हल्का से मिली भगत कर नामान्तरणकरण निर्णित कर दिया गया जिसकी कोई जानकारी अपीलान्ट को आज दिनांक तक नहीं होने दी गई उक्त नामान्तरणकरण ही कानुन की दृष्टि में शुन्य नामान्तरणकरण है इसकी सर्व प्रथम जानकारी दिनांक 24.02.2019 को हुई जब अपीलान्ट ने अपने नाम स्थित आराजीयातपर ऋण लेने हेतु जमाबन्दी की नकले निकलवायी तो अपीलान्ट के साथ अपीलान्ट की पत्नि का नाम अपीलान्ट के पिता की पत्नि के रूप में लिखा हुआ मिला तब तुरन्त अपीलान्ट पटवारी हल्का खडबामनियॉ से मिला और सारी वास्तविक बात बताई कि अपीलान्ट की माता का नाम अजोदिया बाई है तथा रतनी तो मेरी पत्नि का नाम है तब पटवारी हल्का ने कहॉ कि उक्त नामान्तरणकरण की अपील करों तब मैने समस्त जमाबन्दीयॉं की नकले व उक्त विवादित नामान्तरणकरण की नकल प्राप्त की एवं नकल प्राप्त हुई जो दिनांक 25.11.

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

2019 विवादित नामान्तरणकरण की नकल मिली व उसे पश्चात अपीलान्ट ने अपने पिता क नाम स्थित आराजी की नकले तहसील से प्राप्त की जो दिनांक 24.04.2019 को मिली व नकल मिलते ही जानकारी से तुरन्त अपील आप न्यायालय में प्रस्तुत की जा रही है। स्वर्गीय श्री नानालाल के विधिक वारिसान के रूप में एक मात्र पुत्र संतान अपीलान्ट ही है तथा अपीलान्ट की मॉ का स्वर्गवास अपीलान्ट के पिता नानालाल से पुर्व ही हो चुका था तथा अपीलान्ट के कोई सगी बहीन नहीं है तथा रतनी अपीलान्ट की पत्नि है वह अपीलान्ट के पिता नानालाल की पत्नि नहीं है जिससे उक्त विरासती नामान्तरणकरण अकेले अपीलान्ट के नाम पर ही हो चाहिये था लेकिन अधिनस्थ न्यायालय रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा पटवारी हल्का पर विश्वास कर उक्त विवादित नामान्तरणकरण निर्णित किया गया है जिससे अपीलान्ट को भारी परेशानियों का सामना करना पड रहा है तथा अनावश्यक विवाद होने की सभांवना हे जिससे मजबूर होकर अपीलान्ट को उक्त अपील न्यायालय आप में प्रस्तुत करनी पड रही है। अपीलान्ट को उक्त विवादित नामान्तरणकरण की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 24.03.2019 को हुई जब पटवारी हल्का से त्रण हेतु जमाबन्दी की नकल निकवाई तो उसमें अपीलान्ट के साथ रतनी पत्नि नानालाल का नाम भी अकिंत होना मिला तब अपीलान्ट ने सारी जानकारी पटवारी हल्का खडबानियॉ को बताया तो उन्होने बताया कि उक्त नानालाल की मृत्यु पश्चात जो नामान्तरणकरण निर्णित हुआ है उसकी नकल लो तब तुम्हे पता चलेगा तक मैंने पटवारी हल्का के यहॉ उसी दिन प्रार्थना पत्र पेश किया तब पटवारी हल्का द्वारा उक्त विवादित नामान्तरणकरण की नकल दिनांक 24.03.2019 को दी उसके पश्चात मेरे पिता के नाम की जमाबन्दीयों की नकले प्राप्त की जो दिनांक 23.04.2019 की मिल तथा नकल प्राप्त होते ही जानकारी की दिनांक से उक्त अपील एक माह की अन्दर अवधि में न्यायालय आप में प्रस्तुत की जा रही है फिर भी किसी भी आपत्तिवशं अपीलान्ट द्वारा धारा 03 व 05 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है जो अपील का अभिन्न अंग है उक्त विवादित नामान्तरणकरण की सर्व प्रथम जानकारी दिनांक 24.03.2019 को हुई एवं उसी दिन अपीलान्ट ने पटवारी हल्का को उक्त जानकारी दी तब पटवारी हल्का द्वारा विवादित नामान्तरणकरण की नकल दिनांक 24.03.2019 को दी तब से उक्त अपील का हेतुक उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है उसके पश्चात् जमाबन्दी व अपीलान्ट के पिता की नाम की जमाबन्दी की नकले निकलवाई जो 23.04.2019 को मिली

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई रेस्पोडेण्ट संख्या 01 को जरिये सुचना तलब के बावजुद सुचना के अनुपस्थित रहने से एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। रेस्पोडेण्ट संख्या 02 पेरोकार सरकार ने जवाब पेश नही करना चाहा।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी गई दौराने बहस अधिवक्ता अपीलांट ने बताया की ग्राम पंचायत द्वारा बिना उक्त नामान्तरण के सम्बंध में पक्षकारान को बिना सुनवाई जांच किये बिना ही नामान्तरण पारित किया गया है। उसे निरस्त फरमाया जाकर पक्षकारान को सुन नये सिरे से नामान्तरण पारित फरमाया जावें। पत्रावली एवं उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर ग्राम खडबामनियॉ के नामान्तरण संख्या 933 निर्णय दिनांक 09.07.2007 के को निरस्त किया जाकर तहसीलदार रेलमगरा को प्रतिप्रेषित कि जाकर निर्देश दिये जाते है कि पक्षकारान को सुन स्वर्गीय नानालाल पिता नारूलाल ब्राहमण के विधिक वारिसान कि जांच कर नये सिरे से नामान्तरण की कार्यवाही की जावे । पालनार्थ तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 30/03/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा